

AEMLकी ब्याज- मुक्त EMI सुविधा

■ मुंबई। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) ने ग्राहकों की मौजूदा बिलों से जुड़ी परेशानियों को हल करने के लिए ब्याज-मुक्त ईएमआई सुविधा को 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की सीमित अवधि के लिए बढ़ा दिया है। एईएमएल के सभी ग्राहक तीन ब्याज-मुक्त ईएमआई का भुगतान कर सकेंगे।